

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 330

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है)

'स्वामी योजना'

330. श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 'स्वामी' योजना आरंभ करने के उद्देश्य क्या है;
- (ख) 'स्वामी' योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक राज्य-वार/वर्ष-वार कितनी रूकी हुई परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है;
- (ग) 'स्वामी' योजना की सहायता से कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं;
- (घ) 'स्वामी' योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं और उनके पूरा होने की स्थिति क्या है; और
- (ङ) 'स्वामी' योजना द्वारा राज्यवार कुल कितनी धनराशि की परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं और पूरी हो चुकी हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क): किफायती और मध्यम-आय आवास (स्वामी) योजना के लिए एक विशेष विंडो को 06.11.2019 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रेड्स, ब्राउनफील्ड, आरईआरए (रेरा) पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करके खरीदारों को घर सौंपना सुनिश्चित करना था जो किफायती आवास / मध्यम-आय श्रेणी में हैं और इसके लिए पूरे भारत के लिए हर एक कोने में वित्तपोषण अपेक्षित है। इस योजना के तहत वित्तपोषण का व्यापक मानदंड यह था कि उपलब्ध फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) / फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का कम से कम 90% किफायती आवास इकाइयों या मध्यम-आय आवास इकाइयों के रूप में विकसित किया जा रहा है; परियोजना निवल मूल्य सकारात्मक है; परियोजना लागत का कम से कम 30% खर्च किया है और आरईआरए (रेरा) पंजीकृत है।

(ख): 31 दिसंबर, 2023 तक स्वामी योजना की शुरुआत से इसके तहत वित्त पोषित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ): पूरी हो चुकी और पूरा होने के विभिन्न चरणों में चल रही परियोजनाओं की कुल संख्या सहित कुल सौदे के आकार सहित राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 05.02.2024 के लिए लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 330 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण

| राज्य | वित्त पोषित परियोजनाओं की संख्या | वर्ष* | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| आंध्र प्रदेश | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| गुजरात | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| हरियाणा | 22 | 6 | 9 | 5 | 2 |
| कर्नाटक | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| केरल | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| महाराष्ट्र | 40 | 8 | 20 | 8 | 4 |
| पंजाब | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| राजस्थान | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| तमिलनाडु | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| तेलंगाना | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 16 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| उत्तराखंड | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| कुल योग | 110 | 21 | 49 | 23 | 17 |

* वर्ष इस बात का संकेत हैं कि परियोजना में पहला निवेश कब किया गया था

अनुलग्नक-II

दिनांक 05.02.2024 के लिए लोकसभा अतारांकित संख्या 330 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

| राज्य | पूरी हुई परियोजनाओं की संख्या | एग्जीगेट डील साइज़ (रु. करोड़) | पूरे होने के विभिन्न चरणों में परियोजनाओं की संख्या | एग्जीगेट डील साइज़ (रु. करोड़) |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| आंध्र प्रदेश | - | - | 1 | 44.7 |
| गुजरात | - | - | 1 | 60.0 |
| हरियाणा | 14 | 1011.7 | 8 | 1218.1 |
| कर्नाटक | 2 | 274.5 | 2 | 310.8 |
| केरल | 1 | 7.0 | - | - |
| महाराष्ट्र | 21 | 937.8 | 19 | 1775.65 |
| पंजाब | - | - | 2 | 270.6 |
| राजस्थान | 8 | 372.8 | 5 | 252.0 |
| तमिलनाडु | 3 | 155.5 | 2 | 175.2 |
| तेलंगाना | 1 | 136.0 | 2 | 120.0 |
| उत्तर प्रदेश | 4 | 872.2 | 12 | 1509.7 |
| उत्तराखंड | 2 | 260.0 | - | - |
| कुल योग | 56 | 4027.5 | 54 | 5736.75 |

